


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1276 द्वारा श्री देवेन्द्र वर्मा मान.सदस्य विधानसभा

परिशिष्ट -अ

1-वर्ष 2016 माह सितम्बर में में.उजाला ट्रांसपोर्ट परिवहन कर्ता द्वारा प्रदाय योजना के अधिकृत प्रतिनिधी जावेद गौरी पिता मो.सादिक गौरी निवासी मेन रोड छनेरा से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जप्त चावल 411 कट्टे जिसका कुल वजन 201.30 क्विंटल के विक्रेयार्थ अवैध परिवहन पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । जो न्यायालय कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी खंडवा तथा मान.जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा में विचाराधीन है ।

2-वर्ष 2017 माह दिसम्बर में में.अर्श रोडवेज खंडवा परिवहन कर्ता द्वारा प्रदाय योजना प्रो. मो.शेहबाज पिता मो.अकरम निवासी गुलगोहर कालोनी पंधाना रोड,खंडवा से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जप्त चावल 518 कट्टे जिसका कुल वजन 251.44 क्विंटल के विक्रेयार्थ अवैध परिवहन पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । जो न्यायालय कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी खंडवा तथा मान.जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा में विचाराधीन है ।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सोच, वास्तविक आपूर्ति एवं
उपभोगिता संरक्षण विभाग